न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 64/2018 (223 आरटीए) जीवनराम वगै. बनाम भगाराम वगै

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00202)

1 जीवनराम पुत्र श्री भैराराम,
2 पुरखाराम पुत्र श्री भैराराम,
3 केशाराम पुत्र श्री भैराराम,
4 मिश्राराम पुत्र भैराराम,
5 अखाराम पुत्र भैराराम,

सभी जातियान मेघवंशी निवासीयान लुम्बानसर हाल चुतरपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

.... अपीलांटस्

बनाम

1 भगाराम पुत्र श्री रूपाराम,
2 श्रीमती पप्पू पत्नी श्री रूपाराम,
3 गजाराम पुत्र श्री रेखाराम उर्फ खेताराम,
4 ईशराराम पुत्र श्री हरूराम,
5 मूलाराम पुत्र श्री हरूराम,
6 गोपाराम पुत्र श्री हरूराम,
7 श्रीमती समदे पत्नी श्री हरूराम,
8 स्वरूपाराम पुत्र श्री दीनाराम,
9 माधाराम पुत्र श्री दीनाराम,
10 गुणेशाराम पुत्र श्री बागाराम उर्फ बांकाराम,
11 गोबरराम पुत्र श्री सोनाराम,
12 दुधाराम पुत्र श्री सोनाराम,
13 श्रीमती रेशमी पत्नी श्री सोनाराम,
14 जगमालाराम, पुत्र श्री मालाराम,
15 श्रीमती मगी देवी पत्नी श्री मालाराम,
16 भोमाराम पुत्र श्री धुड़ाराम,
17 नरपतराम उर्फ नखताराम पुत्र श्री धूड़ाराम,
18 श्रीमती सुरती पत्नी श्री धूडाराम,
19 सताराम पुत्र श्री दमाराम,
20 चैनाराम पुत्र श्री बगताराम,
21 हमीराराम पुत्र श्री चीमाराम,
22 जबराराम पुत्र श्री लिच्छाराम नाबालिग जरिए वली बड़े पिता हमीराराम पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

श्री चीमाराम, सभी जातियान मेघवंशी निवासी लुम्बानसर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

23 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ दिनांक 18.05.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 47/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी।
2 रेस्पो. सं. 1 व 22 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा।
3 रेस्पो. सं. 23 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 22.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के राजस्व वाद सं. 47/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 व 22 की ओर से राजस्व वाद सं. 47/2016 पेश किया कि पक्षकारान की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम लुम्बानसर में आई हुई है। जिसके खसरा नं. 654 रकबा 218 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 659 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा है। इसी प्रकार ग्राम चुतरपुरा में खसरा नं. 179 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 180 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 181 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 182 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 183 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 188 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 189 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 190 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 589 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 615 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि आई हुई है। इसमें रेस्पोडेंट सं. 1 से 19 एवं अपीलांट का 3/4 हिस्सा है एवं रेस्पो. सं. 20 से 22 का 1/4 हिस्सा है। पत्रावली तलबी में ही चल रही थी तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट/प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई थी। राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेश होने पर पक्षकारों ने यही जाहिर किया कि काबिज अनुसार बंटवाड़ा किया जावे। जिसका उल्लेख आदेशिका दिनांक 18.05.2017 में इस प्रकार किया कि मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते हैं। अतः मौका कब्जा अनुसार बंटवाड़ा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। इस आदेशिका पर केवल वादीगण के ही हस्ताक्षर हैं तथा प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसप्रकार प्राथमिक डिक्री व निर्णय जारी कर दिया। तहसीलदार रिपोर्ट पेश हो गई जो कब्जे अनुसार नहीं बनाई गई बल्कि प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में तथा वादीगण के कथनानुसार बनाई गई। बाद में कोई आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया। जो दिया जाना आवश्यक है। तहसीलदार रिपोर्ट में तीन खातेदारों के हिस्से का भी गलत अंकन कर दिया गया जिसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती गलती की है। इसलिए अपास्त किए जाने के योग्य है। अधीनस्थ्ज्ञ न्यायालय के समक्ष वाद में अपीलांट/प्रतिवादीगण तामील ही नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट सं. 1 से 22 वादीगण ने पत्रावली को सुवालिया लोक अदालत में 18.05.2017 को रखवाई जिसमें केवल इस बाबत सहमति थी कि मौके पर काबिज है उसी अनुसार बंटवाड़ा किया जावे। जिसका आदेशिका में भी उल्लेख है जिस पर वादीगण के हस्ताक्षर हैं तथा प्रतिवादीगण के नहीं हैं। जिसका तात्पर्य हुआ कि प्रतिवादीगण की सहमति नहीं ली गई जो लोक अदालत के नियमों के सर्वथा विरुद्ध है। लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिनमें दोनों पक्षकारों की सहमति हो। इस प्रकार अपीलांट/प्रतिवादीगण की सहमति के बिना प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है। ऐसी प्राथमिक डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात तहसीलदार शेरगढ़ से रिपोर्ट तलब कर ली। तहसीलदार शेरगढ़ ने हल्का पटवारी को हेतु निर्देश दे दिया। हल्का पटवारी ने बिना मौका देखे ही वादीगण के कथनानुसार मौके के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर दी जिस बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रतिवादीगण को जानकारी ही नहीं है। यही रिपोर्ट तहसीलदार शेरगढ़ ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जिसमें तीन खातेदारों का तो हिस्सा ही गलत अंकित कर दिया तथा मौके पर काबिज अनुसार रिपोर्ट ही नहीं हैं। इस प्रकार ऐसी रिपोर्ट का कोई औचित्य ही नहीं हैं। रिपोर्ट आने पर पक्षकारों को आपत्तियां प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था जो भी नहीं दिया गया। जबकि अवसर दिए जाने का आज्ञापक प्रावधान है। मौके अनुसार खसरा नं. 615 में प्रतिवादी जीवनराम की रहवासीय ढाणियां व पानी के टांके बने हुए हैं जिनका उल्लेख रिपोर्ट में आना चाहिए था जो लेश मात्र भी नहीं हैं। अगर आपत्तियां मांगी जाती तो संपूर्ण खुलासा हो जाता। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में इस प्रकार आदेश दिया था कि बंटवाड़ा कर वादी सं. 1 से 19 तथा प्रवितादी सं. 1 से 5 का 3/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 20 से 22 का 1/4 हिस्से के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार शेरगढ़ दोनों पक्षों की उपस्थिति बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। परंतु तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई बल्कि वादीगण के कथनानुसार तैयार कर प्रस्तुत की गई। न तो प्रतिवादीगण को सूचित किया और न ही मौका देखा इसलिए माप व सीमांकन की स्थिति ही नहीं आई जिसका तात्पर्य यह हुआ है कि विधिक बंटवाड़ा ही नहीं हुआ। परंतु इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया इसलिए प्राथमिक डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील देरी से पेश करने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 अपीलांट की तामील नहीं के कारण न्यायहित में स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। अतः निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2017 अपास्त फरमाई जावे।

5 रेस्पो. सं. 1 व 22 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा ने बहस में कथन किया कि दिनांक 18.05.2017 को आपसी सहमति से मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन करने के लिए प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसके लिए सभी पक्षकारान ने राजस्व लोक अदालत कैंप में आपसी सहमति से बंटवारा कराने हेतु संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। जिस पर सभी अपीलांट/प्रतिवादीगण तथा रेस्पोडेंट्स/वादीगण 1 से 22 के हस्ताक्षर हैं। यह प्रार्थना पत्र लोक अदालत में कैंप सुवालिया में प्रस्तुत किया गया था जिस पर बतौर पहचानकर्ता रामसिंह राठोड़ सरपंच ग्राम पंचायत सुवालिया के भी हस्ताक्षर हैं। अतः अपीलांट्स का यह कथन कि

राजस्व अपील प्राधिकारी

उनके आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं हैं तथा उन्होंने बंटवारे के लिए कोई सहमति नहीं दी यह तथ्य गलत कथन किया है। प्राथमिक डिक्री मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने जारी की गई है जिसमें बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार शेरगढ़ को आदेशित किया गया है। तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री की पालना में पेश किए हैं। अतः प्राथमिक डिक्री सहमति से जारी हुई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर भी है। प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने गलत तथ्य अंकित किए हैं। अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कैंप कोर्ट में उपस्थित थे व उनके द्वारा सहमति पत्र भी पेश हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अत प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री व निर्णय की अपील सारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

6 रेस्पो. सं. 23 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 यह अपील आपसी सहमति एवं राजीनामा के अनुसार पारित प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। चूंकि प्रस्तुत अपील आपसी सहमति द्वारा पारित की गई प्राथमिक डिक्री की विरुद्ध है अतः यह अपील मैंटेनेबल नहीं हैं। अपीलांट का यह कथन कि उनकी सहमति नहीं हैं, पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार गलत है। पत्रावली में सलग्न उनके सहमति के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर हैं। हमने इस प्रार्थना पत्र पर जिन पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं उनका मिलान किया तो पाया गया कि सहमति पर वादी/रेस्पोडेंट्स 1 से 22 तथा प्रतिवादी 1 से 5 सभी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रार्थना पत्र को लोक अदालत कैंप में पक्षकारान की ओर से पेश किया गया है। अतः इसमें सभी पक्षकारान उपस्थित थे जहां तक आदेशिका का हवाला है तो उसमें केवल वादीगण के हस्ताक्षर हैं लेकिन सहमति पत्र पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर होने से व सहमति होने से अपलांट का कथन स्वीकार योग्य नहीं है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पक्षकारान के हिस्से अनुसार विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक डिक्री में टाईपिंग मिस्टेक से यह टंकित हो गया है कि तहसीलदार शेरगढ़ दोनों पक्षों की

राजस्व अपील प्राधिकारी

उपस्थिति बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। जबकि इस बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार इस न्यायालय में पेश करें होना चाहिए जो कि टंकण की त्रुटि है इससे निर्णय व डिक्री पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई प्राथमिक डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं तथा यह प्राथमिक डिक्री सहमति के आधार पर पारित की गई है अतः इसकी अपील इस न्यायालय में मैंटेनेबल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह अपील देरी से भी पेश की गई है। अपीलांट ने अपील में हुई देरी को माफ करने के लिए धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें देरी का कोई उचित कारण नहीं दर्शाया गया है। अपीलांट/प्रतिवादीगण स्वयं लोक अदालत कैंप में उपस्थित थे तथा उन्होंनें सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं अतः धारा–5 के प्रार्थना पत्र में सही तथ्य अंकित नहीं किए गए हैं। प्राथमिक डिक्री वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में उनकी सहमति से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैंप में पारित की गई है तो ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादीगण दोनों को ही अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की भली भांति जानकारी थी अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा अपील मियाद बाहर पाई जाती है। अतः यह अपील मियाद के बिंदु पर भी खारिज योग्य पाई जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 यथावत रखे जाते हैं।

(हस्ताक्षर) 22/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 22/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00202)

अपील संख्या 64/2018

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.जीवनराम पुत्र श्री भैराराम 2.पुरखाराम पुत्र श्री भैराराम 3.केशाराम पुत्र श्री भैराराम 4.मिश्राराम पुत्र श्री भैराराम 5.अखाराम पुत्र श्री भैराराम सभी जातियान मेघवंशी निवासीयान लुम्बानसर हाल चुतरपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।	बनाम	1.भगाराम पुत्र श्री रूपाराम 2.श्रीमती पप्पू पत्नी श्री रूपाराम 3.गजाराम पुत्र श्री रेखाराम उर्फ खेताराम 4.ईशराराम पुत्र श्री हरूराम 5.मूलाराम पुत्र श्री हरूराम 6.गोपाराम पुत्र श्री हरूराम 7.श्रीमती समदो पत्नी श्री हरूराम 8.स्वरूपाराम पुत्र श्री दीनाराम 9.माधाराम पुत्र श्री दीनाराम 10.गुणेशाराम पुत्र श्री बागाराम उर्फ बांकाराम 11.गोबरराम पुत्र श्री सोनाराम 12.दुधाराम पुत्र श्री सोनाराम 13.श्रीमती रेशमी पत्नी श्री सोनाराम 14.जगमालाराम पुत्र श्री मालाराम 15.श्रीमती मगी देवी पत्नी श्री मालाराम 16.भोमाराम पुत्र श्री धुड़ाराम 17.नरपतराम उर्फ नखताराम पुत्र श्री धूडाराम 18.श्रीमती सुरती पत्नी श्री धूडाराम 19.सताराम पुत्र श्री दमाराम 20.चैनाराम पुत्र श्री बगताराम 21.हमीराराम पुत्र श्री चीमाराम 22. जबराराम पुत्र श्री लिच्छाराम नाबालिग जरिए वली बड़े पिता हमीराराम पुत्र श्री चीमाराम सभी जातियान मेघंवशी निवासी लुम्बानसर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,शेरगढ़ दिनांक 18.05.2017 अन्तर्गत राजस्व वाद सं. 47/2016

यह अपील बतारीख 22/10/2018 बहाजरी अपीलांट अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 22 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा व रेस्पोडेंट संख्या 23 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,एवं उपखण्ड अधिकारी,शेरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 यथावत रखा जाता है ।
(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 22.10.2018 को जारी हो किया गया।

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

22/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर